



CIRCULAR

Circular no.: PFRDA/2022/07/SUP-CRA/01

31st March, 2022

To,

All stakeholders under NPS

Subject: NPS/APY Functionalities released by CRAs during Quarter III (FY 2021-22)

The Central Record Keeping Agencies (CRAs) appointed by PFRDA develop system level functionalities as per the evolving needs of NPS/APY stakeholders in accordance with Section 21 of PFRDA Act 2013.

CRAs have the responsibility to develop new functionalities or utilities, establish new processes, offer multiple models of interface for the uploading offices in order to provide maximum flexibility in terms of operation for the benefit of the subscribers as an ongoing exercise to fulfil their obligations which ultimately benefit the Subscribers.

The functionalities which are developed and made available by CRAs (Refer Annexure I and II) during Quarter III of the current FY 2021-22 are categorized as under-

- i. NPS Regular / eNPS
- ii. NPS Lite/ APY

The circular is placed in the intermediary section of CRA on PFRDA website www.pfrda.org.in for the information of all NPS/APY stake holders.

(K. Mohan Gandhi) Chief General Manager

<u>Annexure I - Functionalities released by KFin Technologies CRA during Q3 of FY</u> <u>2021-22</u>

No.	Name of Development/ Functionalities	Description
1	New Subscriber Registration Form(SRF) - Changes in PoP Online Module	Marital status - Widow/Widower and Divorcee added
	New SRF - Changes in API	The changes have been made in the API validation file formats as mentioned below. • How did you come to know about NPS? Email ID is made mandatory • Marital status - Widow/Widower and Divorcee added • Either Father's name or Mother's name is mandatory • Single Address in place of Correspondence and Permanent address with relevant proof of address • Nominee Address details removed • Mandatory Nominee Age
3	Information on contact details of ASPs in CRA' s Annuity Calculator	 Annuity Quotes through API is made available in CRA and eNPS for the twelve Annuity Service Providers (ASPs). To help the subscriber, the contact details of the ASPs have also been provided in Annuity Quote Generation section Link: https://enps.kfintech.com/annuity/
44. 1	Changes in subscriber login UI/UX	Subscriber's login screen revamped with new UI/UX to provide the improved User experience to the subscribers. Link: https://enps.kfintech.com/login/login
5	Option to reset password/ regenerate password for Nodal Office users	

Annexure II - Functionalities released by Protean CRA during Q3 of FY 2021-22

N	Name of Development/ Functionalities	Description NPS Possilar/ a NPS
-		NPS Regular/ eNPS
1	Online Subscriber Registration for Government sector in eNPS	 Central Government subscribers have an option to generate PRAN (Tier I account) through eNPS portal. Now, Central Govt. subscribers also have an option to open Tier II accountsthrough eNPS. In addition, eNPS based Registration option (for Tier I and Tier II) has been introduced to Subscribers of Autonomous Bodies (CABs, SABs) and State Govt. Subscribers can open account on the basis of Aadhaar or KYC verification by Nodal Offices. Subsequent verification and authorization of request by Nodal Office is mandatory for opening Tier I and to open Tier II, active Tier I account is mandatory.
		https://enps.nsdl.com/eNPS/OnlineSubscriberRegistration.html?appType=main
2	NPS / APY Chatbot on NPS /APY transaction websites	NPS /APY Chatbot "Know Your NPS & APY" (KYNA) implemented on NPS /APY transaction websites. Existing as well as prospective Subscribers can refer to chatbot for information/queries on NPS as well as APY. Links: https://cra-nsdl.com/CRA/ https://npslite-nsdl.com/CRA/ https://npscan-cra.com/CRA/
3	Subscriber Contribution through eNPS/myNPS	 Subscribers under All Citizens of India & Corporate sector can now contribute till 75 years of age (which was 70 years earlier) through eNPS and myNPS. Earlier, the validation for the same in file upload and screen based OPGM has already been relaxed. Link: https://enps.nsdl.com/eNPS/InitialExistingUser.html
	Corporate	Direct Corporate can upload Tier II contribution for underlying Subscribers.
-	Statement of Contribution	Statement of Contribution option has been enabled in National Pension System Contribution Accounting Network (NPSCAN)
6	Disability	At the time of processing of Family Pension / Disability Pension requests, Nodal Office has to select declaration related to collection of Copy of Death Certificate/Copy of PRAN card of the deceased Subscriber.

No	Name of Development/ Functionalities	Description	
7	Error Rectification Module in NPS Contribution	 At the time of contribution processing, in case if any error is found in any record, instead of entire file getting rejected, only that record will be rejected and the other records without any error will be processed. The feature for respective Offices will be enabled in the CRA system based on request received by Nodal Offices across various sectors. 	
8	Funds allocation ratio for Govt sector subscribers	 The funds allocation ratio for Govt sector (CG & SG) for the default scheme has been revised for three PFMs in the ratio of SBI (31%), UTI (34%) and LIC (35%). Accordingly, footnote has been added in the Transaction Statement for CG & SG Subscribers indicating change in the PFM scheme ratio. 	
	Bank account type of Nodal Office	 In addition to existing bank account types of Saving and Current account, additional account type of 'Government Account' has been created in CRA system. Accordingly, Bank account type needs to be picked up in ERM requests. 	
10	Dual OTP authentication on eNPS	Dual OTP Authentication has been introduced in addition to eSign for the following things, Tier II Activation Tier II - Tax Saver Scheme (TTS) Activation	
11	Subscriber Direct Corporates can now onboard new Subscribers (employees) Registration by Screen based Online PRAN Generation Module (OPGM) in addition existing mode of registration.		
12		Transaction Statement is now <i>available in Marathi</i> in addition to English, Hindi and Kannada languages.	
13	Revised file format of Annuity policy letails for ASPs	 Annuity Policy details are being uploaded by ASPs in CRA system as per the stipulated file format. Now, AnnuityPolicy details upload file format has been modified with updated field and validations etc. ASPs are required to upload the policy details as per the revised file format. 	

No	Name of Development/ Functionalities	Description	
		NPS Lite / APY	
		Upgrade/Downgrade of APY pension amount:	
	Upgrade/ Downgrade of APY pension amount	Existing facility: APY Subscribers are required to pay the differential/shortfall amount.	
14		 Additional option: Upgrade/Downgrade through Refixation Model has been enabled for the APY Subscribers between 18 to 40 years of age. 	
		 In the APY Mobile App, Refixation Model has been enabled in the calculator view. 	
		 Now, in the calculator, option will be available to view Upgrade / Downgrade through "Existing Mode" as well as "Refixation Mode" 	
now use online eAPY/eNPS portal is (APY) Lite/Swavalamba n subscribers' migration to APY The details submitted by the Subscribers concerned APY-SPs (banks) for versions and subscribers under APY. Link: https://enps.nsdl.com/eNPS/LiteToApy.		now use online eAPY/eNPS portal to migrate to Atal Pension Yojana (APY) • The details submitted by the Subscriber will be shared with the concerned APY-SPs (banks) for verification and migrating the	
16	New/Revised APY exit file format for APY SPs	 APY-SPs upload the online exit file in CRA system for Subscribers exiting APY due to premature exit. Now, new/revised APY Voluntary Exit file format with following fields has been made mandatory. Active Bank Account Flag Reason for Exit 	
17	through onlinet Aadhaar eKYC	Aadhaar Vault Integration in eAPY and the APY enrollment enabled hrough online Aadhaar eKYC by only using eSign. Link: https://enps.nsdl.com/eNPS/ApySubRegistration.html	



पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



परिपत्र

परिपत्र संख्या : PFRDA/2022/07/SUP-CRA/01

31 मार्च, 2022

सेवा में,

एनपीएस के तहत सभी हितधारक

विषय : केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरणों द्वारा तिमाही III (वित्त वर्ष 2021-22) में जारी एनपीएस/एपीवाई की क्रियात्मक्ताएं

पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 21 के अनुसार एनपीएसएपीवाई हितधारकों की उभरती/ हुई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रणालीगत क्रियात्मकताएं विकसित करते हैं।

सीआरए के पास अभिदाताओं के लाभ के लिए संचालन के मामले में अधिकतम लचीलापन प्रदान करने के क्रम में नई क्रियातामाक्ताओं या उपयोगिताओं को विकसित करने, नई प्रक्रियाओं को स्थापित करने, अपलोडिंग कार्यालयों हेतु इंटरफेस के अनेक प्रारूपों को पेश करने की जिम्मेदारी है। यह कर्तव्यों को पूरा करने की एक सतत प्रक्रिया है, जो अंततः अभिदाताओं को लाभान्वित करती है।

मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 की तिमाही III के दौरान सीआरए द्वारा विक्सित और उपलब्ध करायी गई क्रियात्मक्ताएं (अनुलग्नक I और II देखें) निम्नानुसार श्रेणीबद्ध हैं-

- iii. एनपीएस नियमित / ईएनपीएस
- iv. एनपीएस लाइट/ एपीवाई

सभी एनपीएसएपीवाई हितधारकों की सूचना के लिए/ परिपत्र को पीएफआरडीए वेबसाइट<u>www.pfrda.org.in</u> पर मध्यवर्ती इकाइयों के सीआरए भाग में रखा गया है ।

महिन गांधी

(के.मोहन गाँधी) मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक I - KFin Technologies CRA द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 की तिमाही 3 के दौरान जारी क्रियात्मकताएं

	<u> क्रियात्मकताए</u>		
क्र.सं	विकास/क्रियात्मक्ताओं का नाम	विवरण	
1	नए अभिदाता पंजीकरण फॉर्म (एसआरएफ)-पीओपी ऑनलाइन मोड्यूल में परिवर्तन	ओपीजीएम में लागू किए गए एसआरएफ में हुए बदलाव इस प्रकार हैं- • ईमेल आईडी अनिवार्य कर दी गयी है • वैवाहिक स्थिति में विधवा/विधुर और तलाकशुदा को जोड़ा गया है • पिता या माता का नाम अनिवार्य है • पत्राचार और स्थायी पते की जगह उचित साक्ष्यों के साथ केवल एक पता • नामिति का पता विवरण हटा दिया गया है • अनिवार्य नामिति आयु	
2	नया एसआरएफ - एपीआई में परिवर्तन	एपीआई सत्यापन फ़ाइल फॉर्मेट में निम्नानुसार परिवर्तन किये गए हैं- आपको एनपीएस के विषय में कैसे पता चला ? ईमेल आईडी अनिवार्य की गयी है वैवाहिक स्थिति विधुर और तलाकशुदा को जोड़ा गया है/विधवा - पिता का नाम या माता का नाम अनिवार्य है पत्राचार और स्थायी पते की जगह उचितसाक्ष्यों के साथ केवल एक पता नामिति का पता विवरण हटा दिया गया अनिवार्य नामिति आयु	
	सीआरए के वार्षिकी गणक में वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के संपर्क विवरण पर सूचना	 बारह वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपीज़) के लिए सीआरए और ईएनपीएस में एपीआई के जिए वार्षिकी मूल्य उद्धरण उपलब्ध कराए गए हैं। अभिदाताओं की सहायता के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपीज़) के संपर्क विवरण को एन्यूटी कोट जेनरेशन सेगमेंट में दिया गया है। लिंक: https://enps.kfintech.com/annuity/ 	
4	अभिदाता के लॉग इन यूआई यूएक्स में परिवर्तन/	अभिदाताओं को नया उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए अभिदाता लॉगइन स्क्रीन को नए यूआई/यूएक्स से समुन्नत किया गया है। लिंकः https://enps.kfintech.com/login/login	
5	नोडल कार्यालय उपयोगकर्ताओं के लिए पासवर्ड पुनः निर्मित/पुनः जारी करने का विकल्प	नोडल कार्यालय उपयोगकर्ताओं के लिए पासवर्ड पुनः निर्मित/पुनः जारी करना इनपुट अर्थात् उपयोगकर्ता आईडी और पंजीकृत ईमेल आईडी प्रमाणीकृत किया जाता है और नए पासवर्ड उपयोगकर्ता को भेजे जाते हैं। उपयोगकर्ता भेजे गए पासवर्ड के प्रयोग से नए सिरे से मानदंडो का पालन करते हुए नए पासवर्ड का निर्माण कर सकता है। लिंक: https://cra.kfintech.com/ResetPassword.aspx	

अनुलग्नक II -Protean CRA द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 की तिमाही 3 के दौरान जारी क्रियात्मक्ताएं

	0 10 33	
क्र.सं.	विकास/ क्रियात्मकताओं के नाम	विवरण
एनपीएस नियमित/ईएनपीएस		
1	ईएनपीएस में सरकारी क्षेत्र के लिए अभिदाताओं का ऑनलाइन पंजीकरण	
2	एनपीएस एपीवाई/ट्रांजैक्शन वेबसाइट परएनपीएसएपीवाई / चैटबॉट	एनपीएस/एपीवाई चैटबॉट, "और अपने एनपीएस और एपीवाई को जाने" को एनपीएस/एपीवाई ट्रांजेक्शन वेबसाइट पर क्रियान्वित किया गया है। मौजूदा अभिदाताओं के साथ-साथ संभावित अभिदाता भी एनपीएस के साथ-साथ एपीवाई पर सूचना/प्रश्नों के लिए चैटबॉट को देख सकते हैं। लिंक: • lttps://cra-nsdl.com/CRA • https://npsite-nsdl.com/CRA • https://npscan-cra.com/CRA
	ईएनपीएस/माई एनपीएस के माध्यम से अभिदाता अंशदान	 भारत के सर्व नागरिक मॉडल और कॉर्पोरेट क्षेत्र के तहत शामिल अभिदाता ईएनपीएस और माई एनपीएस के माध्यम से अब 75 वर्ष (जो पहले 70 वर्ष थी) की आयु का अंशदान कर सकते हैं। पूर्व में, इसके लिए फाइल अपलोड और स्क्रीन आधारित ओपीजीएम के लिए सत्यापन पर पहले से ही छूट प्रदान की गई है। लिंक: https://enps.nsdl.com/eNPS/InitialExistingUser.html
4	कॉर्पोरेट द्वारा टियर अंशदान को ॥ अपलोड करना	अंतर्निहित अभिदाताओं के लिए प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट ही टियर II अंशदान को अपलोड कर सकते हैं।
5	अंशदान का विवरण	नेशनल पेंशन सिस्टम कॉन्ट्रिब्यूशन एकाउंटिंग नेटवर्क (एनपीएससीएएन) में अंशदान विकल्प का विवरण सक्षम किया गया है ।
6	कुटुंब पेंशन/विकलांगता पेंशन का प्रसंस्करण	कुटुंब पेंशन/विकलांगता पेंशन के अनुरोध प्रसंस्करण के समय नोडल कार्यालयों को मृत अभिदाता के मृत्यु प्रमाणपत्र/प्रानकार्ड की प्रति संकलन से सम्बंधित घोषणा कथन का चयन करना होता है।

क्र.सं.	विकास/कार्यत्मक्ताओं का नाम	विवरण
7	एनपीएस अंशदान में त्रुवि आशोधन मोड्यूल	 अंशदान संस्करण के समय, यदि किसी रिकॉर्ड में कोई त्रुटि होती है, सम्पूर्ण फ़ाइल को निरस्त करने के बजाय केवल वह रिकॉर्ड निरस्त किया जाएगा और त्रुटि रहित रिकार्ड्स को संसाधित किया जाएगा । विभिन्न क्षेत्रों में नोडल कार्यालयों द्वारा प्राप्त अनुरोध के आधार पर सीआरए प्रणाली में संबंधित कार्यालयों के विशेषताएं सक्षम की गई हैं ।
8	सरकारी क्षेत्र अभिदाताओं के लिए निधि आवंटन अनुपात	 सरकारी क्षेत्र (सीजी और एसजी) डिफॉल्ट योजना के लिए निधि आवंटन अनुपात तीन पेंशन निधि प्रबंधकों एसबीआई (31%), यूटीआई (34%) और एलआईसी (35%) के लिए संशोधित किया गया है। तदनुसार, सीजी और एसजी अभिदाताओं के लिए लेनदेन विवरण में पाद टिप्पणी जोड़ी गई है, जो पीएफएम योजना अनुपात में परिवर्तन को अंकित करती है।
9	नोडल कार्यालय का बैंक खाता प्रकार	 सीआरए प्रणाली में बचत और चालू खाता जैसे मौजूदा बैंक खाता विकल्पों के अतिरिक्त सीआरए प्रणाली में 'सरकारी खाते' को भी जोड़ा गया है। तदनुसार, बैंक खाता प्रकार को ईआरएम अनुरोधों में लिए जाने की आवश्यकता है।
10	ईएनपीएस पर ड्यूअल ओटीपी प्रमाणीकरण	ई साइन के अतिरिक्त ड्युअल ओटीपी प्रमाणन निम्नलिखित सुविधाओं के लिए शुरू की गई है । • टियर II सक्रियण • टियर II कर बचत योजना (टीटीएस) सक्रियण
11	डायरेक्ट कोर्पोरेटस द्वारा अभिदाता पंजीकरण	पंजीकरण के मौजूदा तरीके के अतिरिक्त <i>स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन प्रान</i> जेनरेशन मोड्यूल (ओपीजीएम)के माध्यम से डायरेक्ट कोर्पोरेटस भी अब नए अभिदाताओं को शामिल कर सकते हैं।
12	क्षेत्रीय भाषाओं में लेनदेन संव्यवहार	लेनदेन विवरण अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं के साथ मराठी में भी उपलब्ध है।
13	वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के लिए वार्षिकी नीति प्रारूप की संशोधित फाइल	 सीआरए प्रणाली में निर्दिष्ट फाइल प्रारूप के अनुसार वार्षिकी नीति विवरण वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा अपलोड किया जा रहा है । अब ,वार्षिकी नीति विवरण अपलोड फ़ाइल फॉर्मेट को नवीनीकृत श्रेणियों और सत्यापनों आदि से संशोधित किया गया है। वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को संशोधित फाइल प्रारूप के अनुसार ही नीतिगत विवरण अपलोड करने की आवश्यकता होती है

-

	T 0	
क्र.सं.	विकास/ क्रियात्मकताओं का	विवरण
	नाम	
		एनपीएस लाइट / एपीवाई
14	एपीवाई पेंशन राशि को बढ़ाना या घटाना	 एपीवाई पेंशन राशि को बढ़ाना/घटाना : मौजूदा सुविधा: एपीवाई अभिदाताओं को अंतर/कमतर राशि का भुगतान करना होगा अतिरक्त विकल्प : 18 से 40 वर्ष की आयु के एपीवाई अभिदाताओं के लिए रिफिक्सेसन मॉडल के माध्यम से अपग्रेड । डाउनग्रेड सक्षम किया गया है/ एपीवाई मोबाइल ऐप में, कैलकुलेटर व्यू में रिफिक्सेशन मॉडल को सक्षम किया गया है। अब, कैलकुलेटर में, " मौजूदा मोड़" के साथ-साथ " रीफिक्सेसन मोड़" के माध्यम अपग्रेड/डाउनग्रेड देखने का विकल्प उपलब्ध होगा ।
15	एपीवाई के लिए एनपीएस लाइट/स्वावलंबन अभिदाता प्रवसन (माइग्रेशन)	 उपयोग कर सकते हैं। एपीवाई के तहत अभिदाताओं के सत्यापन और स्थानान्तरण करने के लिए अभिदाता
16	एपीवाई सेवाप्रदाताओं के लिए नई/संशोधित एपीवाई निकास फाईल प्रारूप	 एपीवाई एसपी समयपूर्व-निकास के कारण एपीवाई से निकास करने वाले अभिदाताओं के लिए सीआरए प्रणाली में ऑनलाइन निकास फ़ाइल अपलोड करते हैं। अब, निम्नलिखित क्षेत्रों के साथ नया/संशोधित एपीवाई स्वैच्छिक निकास फ़ाइल स्वरुप अनिवार्य कर दिया गया है सिक्रय बैंक खाता फ्लैग निकास का कारण
17	ईकेवाईसी के माध्यम पे एपीवाई नामांकन	ईएपीवाई में आधार वाल्ट एकीकरण और एपीवाई नामांकन केवल ई-साइन का उपयोग करके ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है l लिंक:https://enps.nsdl.com/eNPS/ApySubRegistration.html